# यायालय, उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू.अभिलेख अधिकारी, जैतारण (जिला–ब्यावर) राज.

ान अधिकारी : श्री रवि प्रकाश, आर0ए0एस0
व प्रार्थना पत्र संख्या : 202/2024
IS NO. : 2024/383

| –: प्रार्थी :– | बनाम | –: अप्रार्थी :– |
|---|---|---|
| आनन्द सिंह पुत्र प्रभुसिंह जाति– राजपूत, निवासी– ग्राम रुण्डल वाया चौमू, जिला– जयपुर राज0। | | 1. केलादेवी पत्नी भंवरलाल जाति– जाट, निवासी– ग्राम बोगासनी, तहसील– जैतारण, जिला– ब्यावर, राज0। <br> 2. तहसीलदार एवं उपपंजीयन अधिकारी जैतारण, जिला– ब्यावर, राजस्थान। |

## राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, 131 एवं 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

**तारीख रजूः. 01/10/2024**

स्थितः–

1. श्री शाकिर हुसैन, श्री अमित त्रिपाठी, अधिवक्ता, प्रार्थी।
2. श्री अब्दुल कलाम, श्री साजिद अली, अधिवक्ता, अप्रार्थी।
3. सरकार पैराकार राज, तहसीलदार जैतारण।

**–:: निर्णय ::–** **दिनॉकः–20/11/2024**

अधिवक्ता मय प्रार्थी ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956, के तहत् विरुद्ध अप्रार्थी इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा ग्राम सिणला, पटवार हल्का डिगरना, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र निम्बोल, तहसील– जैतारण जिला ब्यावर राजस्थान में वाके आराजी खसरा नम्बर 228 कुल रकबा 128 बीघा किस्म गै0मु0 पहाड़ भूमि खतौनी बन्दोबस्त संवत् 2011 से 2030 में इन्द्राज है। माननीय जिला कलक्टर पाली द्वारा प्रार्थी आन्नदसिंह को खनन पट्टा (माईनिंग लीज) एम एल 231/91 300 × 300 वर्गमीटर के लिये उक्त भूमि खसरा नम्बर 228 क्षेत्रफल 51–05 बीघा किस्म गै0मु0 पहाड में आवंटन अप्रार्थी संख्या 2 तहसीलदार जी की अनुशंषा के आधार पर अनापत्ति पत्र दिनांक 22/07/1992 को जारी किया गया। अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति व वर्तमान राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी एवं राजस्व नक्शा प्रार्थनापत्र के साथ पेश है। प्रार्थी आनन्दसिंह के पक्ष के उक्त भूमि बाबत् अधीक्षक खनि अभियन्ता जोधपुर के कार्यालय आदेश क्रमांक/अ.ख./जोधपुर/अप्रधान/सीसी/सोजत/231/91/921 दिनांक 25/04/1992 एवं निदेशालय के आदेश कमांक निदे/प.2/ए.37/सोजत/अप्र/92/1340 दिनांक 15/10/1992 से क्षेत्र 300 × 300 वर्गमीटर बराबर 90000/– वर्गमीटर संविदा पंजीयन की तिथि से 10 वर्ष के रूपये 90000/– अक्षरे निब्बे हजार रूपये वार्षिक संविदा निष्पादन होकर खनन पट्टा पंजीयन दिनांक

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू-अभिलेख अधिकारी
जैतारण (ब्यावर)

11/02/1993 को हुआ उक्त खनन पट्टा मय नक्शा की प्रमाणित प्रति प्रार्थनापत्र के साथ संलग्न है। प्रार्थी के नाम उक्त खनन लीज को समय समय पर नवीनीकरण की अवधि बढाई गई तत्पश्चात खनि अभियन्ता खान एंव भू विज्ञान विभाग सोजतसिटी द्वारा क्रमांक ख0अ0/सोजत/अप्र/2017/2046 दिनांक 03/04/2017 को राज्य सरकार के दिनांक 01/03/2017 को राजस्थान अप्रधान खनिज रियायती नियत 2017 अधिसूचित किये है जिसका नियम 9 खनन पट्टे की अवधि के सम्बन्ध मे होने से खनन पट्टा दिनांक 11/02/1993 से प्रभावशील होकर दिनांक 11/02/2023 की अवधि हेतु स्वीकृत है। राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 के नियम 9(2) के अनुसार जिन खनन पट्टो की अवधि 50 वर्ष से कम है उन्हें 50 वर्ष तक बढ़ाना है इसलिए प्रार्थी आन्नदसिंह के पक्ष में खनन पट्टा एम एल 231/91 को दिनांक 11/02/2043 तक स्वतः बढ़ाई गई उक्त खनि अभियन्ता खान एवं भू विज्ञान विभाग सोजतसिटी का पत्र प्रार्थनापत्र के साथ संलग्न है। प्रार्थी के पक्ष में स्वीकृत खनिजपट्टा एम एल 231/91 दिनांक 11/02/1993 से लगायत दिनांक 11/02/2043 तक प्रभावी है व उक्त खनन पट्टे के नाप व सीमाये पंजीकृत लीज डीड में वर्णित है संलग्न नक्शा में क्षेत्रफल 300 × 300 वर्गमीटर बराबर 90000/– वर्गमीटर स्वीकृत है जिसका सीमाकंन प्रतिवेदन खनि अभियन्ता खान एवं भू विज्ञान विभाग सोजतसिटी द्वारा दिनांक 12/06/1992 को किया गया तथा प्रार्थनापत्र में वर्णित सीमाकंन का विवरण अनुसार खनिज अभियन्ता खान एवं भू विज्ञान विभाग सोजतसिटी द्वारा मौके पर पार्टी प्रतिनिधि की उपस्थिति मे पक्के सीमा स्तम्भ लगा दिये व क्लोजिंग एरर को बराबर भागो में बांटा गया उक्त डिर्मागेशन के स्तम्भ खनन क्षेत्र में खनि अभियन्ता खान एवं भू विज्ञान विभाग सोजतसिटी ने स्थापित किये गये व इसी सीमाकंन प्रतिवेदन में पील्लर्स की सूची मे.

सीमा स्तम्भ A. - 1. समतल पथरीली जमीन पर आता है।
2.पक्का कमरा 114.0 पर स्थित है।

सीमा स्तम्भ B. - 1. पथरीली जमीन पर आता है।
2.पक्का कमरा 51.0 पर है।

सीमा स्तम्भ C. – 1. समतल जमीन पर आता है।

सीमा स्तम्भ D. – 2.समतल जमीन पर आता है।

उपरोक्त वर्णित सीमाज्ञान प्रतिवेदन खनन अभियन्ता खान एवं भू विज्ञान विभाग सोजतसिटी द्वारा दिनांक 12/06/1992 को तैयार किया गया व सभी सीमाकंन प्रिज्मेटिक कम्पास 30 मीटर फीता एवं रेन्जिग रोड द्वारा किया गया उक्त सीमाकंन प्रतिवेदन की प्रति प्रार्थनापत्र के साथ संलग्न है जिस पर खनि अभियन्ता सिरोही के हस्ताक्षर मय मोहर लगी है। खसरा नम्बर 228 रकबा 128 बीघा भूमि में से 300 गुणा 300 वर्गमीटर भूमि माननीय जिला

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू-अभिलेख अधिकारी
जैतारण (व्यावर)

कलेक्टर महोदय पाली व तहसीलदार जी जैतारण तथा हल्का पटवारी द्वारा नियमानुसार कार्यवाही कर भूमि का मौके पर सीमाकंन एवं नापचौप कर राजस्व नक्शा मे तरमीम की गई उक्त लीज डीड के साथ नक्शा की प्रति संलग्न है। प्रार्थी के पक्ष में सरहद मौजा सिणला में स्थित भूमि खसरा नम्बर 228 में से 300 गुणा 300 वर्गमीटर भूमि का खनिज पट्टा एम एल 231/91 दिनांक 11/02/1993 को पंजीयन होने के बाद नवीनीकरण की अवधि दिनांक 11/02/2023 तक नियमानुसार बढ़ाई गई मगर अप्रार्थी संख्या 2 तहसीलदार जी जैतारण एवं हल्का पटवारी ने खसरा नम्बर 228 गै0मु0 पहाड की भूमि में से अप्रार्थी संख्या 1 के नाम खसरा नम्बर 228/1, 228/3, 228/5 आवंटन कर राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज की गई जो जमाबन्दी व राजस्व नक्शा प्रार्थनापत्र के साथ संलग्न है। अप्रार्थी संख्या 1 केलादेवी ने खसरा नम्बर 228/1 रकबा 2.9947 हैक्टयर किस्म बारानी दोयम खसरा नम्बर 228/3 रकबा 1.6187 हैक्टयर किस्म बारानी दोयम व खसरा नमबर 228/5 रकबा 1.6187 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल राज्य सरकार के आदेशानुसार कम्प्युटराईज्ड ऑनलाईन के दौरान बाले बाले राजस्व अधिकारी कर्मचारी का सहयोग लेकर राजस्व अभिलेख ध् नक्शे मे प्रार्थी की लीज खनन एरिया क्षेत्र मे तरमीम का इन्द्राज कर दिया जबकि प्रार्थी के खनन क्षेत्र के भू भाग में अप्रार्थी संख्या 1 के ऑनलाईन नक्शे मे तरमीम की गई भूमि पूर्णतया गलत एवं कानूनन रोन्ग एन्ट्री है। अप्रार्थी संख्या 1 ने राजस्व कर्मचारी अधिकारी से मिलीभगत कर बाले बाले गलत इन्द्राज करवाई गई है अप्रार्थी संख्या 1 ने दिनांक 24/03/2024 को प्रार्थी के खनन ऐरिया एम एल 231/91 मे जबरन अतिचार कर कार्यरत प्रतिनिधियो को खनन मे कार्य करने से मना कर दिया और बाधा रोकटोक पैदा कर लडाई झगडा कर आमादा हुई व अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थी की उक्त खनन एरिया की भूमि को अपनी भूमि होना बताकर प्रार्थी के खनन एरिया के भू भाग से जबरन बेदखल कर तारबन्दी व पत्थर गड्डी करने की ऐलानिया धमकीया दी तब प्रार्थी की और से अप्रार्थीगण के विरुद्ध एक सिविल वादपत्र माननीय सिविल न्यायाधीश महोदय जैतारण जैतारण के के न्यायालय में पेश किया जो वर्तमान में विचाराधीन है। यह है कि उपरोक्त सम्पूर्ण दस्तावेजात से यह साबित है कि प्रार्थी के खनिज पट्टा एम एल 231ध्91 में वर्णित भू भाग की भूमि खसरा नम्बर 228 में स्थित है उक्त भूमि के सम्बन्ध मे अप्रार्थी संख्या 1 ने बाले बाले तत्कालीन रेवेन्यु एजेन्सी को साथ मे लेकर स्वयं के पक्ष में राजस्व रेकर्ड में कम्प्युटराईज्ड ऑनलाईन के दौरान तरमीम करवा ली जो तरमीम व इन्द्राज कानूनन एक रोन्ग एन्ट्री होकर विधि विरुद्ध है उकत रोंग एन्टी व विधिविरुद्ध इन्द्राज की जानकारी होने पर प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 को दिनांक 19/08/2024 को राजस्व रेकर्ड में की गई गलत तरमीम व इन्द्राजात को दुरुस्त करवाने का निवेदन किया तो अप्रार्थी संख्या 1 ने स्पष्ट इन्कार कर

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू-अभिलेख अधिकारी
जैतारण (व्यावर)

देया जिस पर राजस्व रेकर्ड दुरूस्त एवं राजस्व रेकर्ड मे किये गये इन्द्राज को दुरूस्त करवाने बाबत् दिनांक 20/08/2024 को अप्रार्थी संख्या 2 को प्रार्थनापत्र पेश किया जिस पर अप्रार्थी संख्या 2 ने राजस्व रेकर्ड स्वयं द्वारा दुरूस्त करने से इन्कार कर न्यायालय के आदेश से ही राजस्व रेकर्ड दुरूस्त करने का कहा इसलिए प्रार्थी के पास अन्य कोई विकल्प शेष नही रहने से उपरोक्त अनुसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त करने का प्रार्थनापत्र श्रीमान् के समक्ष सादर पेश है। प्रार्थी की खनन लीज की भूमि राजस्व ग्राम सिणला तहसील जैतारण जिला ब्यावर राज0 मे स्थित होने से उक्त प्रार्थनापत्र की सुनवाई का क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय हाजा को प्राप्त होने से यह प्रार्थनापत्र निर्धारित मुकर्रर कोर्ट फीस स्टाम्प पर श्रीमान् के समक्ष सादर पेश है। माफिक कानून राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत लेण्ड रिक०र्ड अधिकारी तहसीलदार जी जैतारण भी आवश्यक पक्षकार होने से इस प्रार्थनापत्र में उन्हे भी अप्रार्थी पक्षकार बनाया गया है। अन्य उजरात बरवक्त बहस निवेदन किये जायेगे। अतः प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र दस्तावेजात नक्शा पेश कर निवेदन है कि उपरोक्त आधारो से प्रार्थी की खनन लीज डीड की भूमि एम एल 231/91 क्षेत्रफल 90,000 वर्गमीटर जो मूल खसरा नम्बर 228 रकबा 128 बीघा किस्म गै0मु0 पहाड के राजस्व अभिलेख एवं राजस्व नक्शा में अप्रार्थी संख्या 1 ने रेवेन्यु एजेन्सी का सहयोग लेकर विधि विरूद्ध तरीके से स्वयं की भूमि खसरा नमबर 228/1 क्षेत्रफल 2.9947 किस्म बारानी दोयम व खसरा नम्बर 228/3 रकबा 1.6187 हैक्टयर किस्म बारानी दोयम व खसरा नम्बर 228/5 रकबा 1.6187 हैक्टयर किस्म बारानी अव्वल को कम्प्युटराईज्ड ऑनलाईन करवाते समय विधिविरूद्ध तरीके से तरमीम करवाई जो कानूनन एक रोन्ग एन्ट्री होने व विधिविरूद्ध होने से उपरोक्त भूमियो का मौके पर नापचौप कर सीमाज्ञान कर पत्थरगड्डी राजस्व रेकर्ड में की गई गलत तरमीम को मौके अनुसार सही एवं वास्तवित रूप से राजस्व नक्शे व राजस्व जमाबन्दी मे सही तरमीम का राजस्व रेकर्ड दुरूस्त किये जाने का आदेश फरमावे एवं नापचौप पत्थरगड्डी सीमाज्ञान इत्यादि कार्यो मे अप्रार्थी संख्या 1 बाधा हडपचन पैदा करे तो जरिये पुलिस इमदाद के सीमाज्ञान कर रेकर्ड दुरूस्त किया जावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से वकालतनामा पेश हुआ, जो सामिल मिसल है। राजीनामा प्रार्थी आनन्दसिंह व अप्रार्थी केलादेवी की और से पेश हुआ कि उपरोक्त अनवान के प्रकरण में लोक अदालत की भावना से एवं मौजिज व्यक्तियो की समझाईस से एवं पक्षकारान् के मध्य सम्बन्ध मधुर बने रहे एवं पक्षकारान् को खर्चे से जेरबार नही होना पडे इस बात को ध्यान में रखते हुए दोनो पक्षो के मध्य राजीनामा हो गया हैं राजीनामा के आधार पर सरहद मौजा सिणला पटवार हल्का डिगरना भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र निम्बोल तहसील जैतारण में स्थित भूमि मूल खसरा नम्बर 228 रकबा 128 बीघा गै0मु0 पहाड मे स्थित प्रार्थी की खनन लीज डीड की

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू-अभिलेख अधिकारी
जैतारण (ब्यावर)

भूमि एम एल 231/91 क्षेत्रफल 9000 वर्गमीटर तथा खसरा नम्बर 228/1 क्षेत्रफल 2.9947 हैक्टयर व खसरा नम्बर 228/3 क्षेत्रफल 1.6187 हैक्टयर व खसरा नम्बर 228/5 रकबा 1.6187 हैक्टयर का रेवेन्यु एजेन्सी द्वारा नापचौप करवाकर सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगड्डी कर मौके अनुसार सही एवं वास्तविक रूप से राजस्व नक्शे एवं राजस्व जमाबन्दी मे रेकर्ड दुरूस्त किया जावे तथा उक्त राजीनामा तस्दीक कर मूल प्रार्थनापत्र को स्वीकार फरमाकर निस्तारण करावे। अतः राजीनामा पेश कर निवेदन है कि राजीनामा तस्दीक कर राजीनामा अनुसार मूल प्रार्थनापत्र को स्वीकार फरमाते हुए मूल प्रार्थनापत्र का निस्तारण किये जाने का आदेश फरमावे ।

अप्रार्थी तहसीलदार जैतारण द्वारा हस्तगत प्रार्थनापत्र में वादग्रस्त आराजी के रेकर्ड एवं मौका स्थिति की तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट पत्र क्रमांक/राजस्व/2024/2271 दिनांक 20.11.2024 मय फर्द मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा प्रस्तुत की गई जो सामिल मिसल है। तहसीलदार, जैतारण ने उक्त तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट में जाहिर किया कि उक्त विचाराधीन वाद में प्रार्थी आनन्दसिंह का आक्षेप है कि उसकी माइनिंग लीज एमएल–231/91 में अप्रार्थी केलादेवी ने लीज आंवटन वर्ष 1991 के बाद में वर्ष 2011 में उसकी लीज भूमि में गलत तरमीम करवाकर कब्जा करना चाहती है, जो अनुचित है। अप्रार्थी केलादेवी एवं प्रार्थी आनन्दसिंह के बीच राजीनामा भी हो गया कि उसकी खातेदारी भूमि खसरा नंबर 228/1, 228/3 व 228/5 की भूमि का कोई हिस्सा लीज क्षेत्र में आता है तो उसे छोड़ते हुए अगर तरमीम दुरूस्ती/शुद्धि की जाती है तो अप्रार्थीया को कोई आपत्ति नहीं है। इस सम्बन्ध में लीज क्षेत्र व अप्रार्थिया केलादेवी की भूमि का नजरी नक्शा बनाकर साथ संलग्न किया गया। इसमें अप्रार्थिया केलादेवी की भूमि खसरा नंबर 228/5 की 0.4694 हैक्टेयर तथा खसरा नंबर 228/1 की 0.6475 हैक्टेयर भूमि लीज क्षेत्र में प्रभावित होनी पाई गई। खसरा नंबर 228/3 की भूमि यथावत है खसरा नंबर 228/5 की भूमि 0.4694 हैक्टेयर को नजरी नक्शे में मार्क एबीसीडीए स्लेटी रंग से तथा खसरा नंबर 228/1 की 0.6475 हैक्टेयर भूमि को मार्क डीईएफजीएचसीडी गुलाबी रंग से दर्शाया गया तथा तरमीम दुरूस्ती/शुद्धि हेतु प्रस्तावित किया गया। प्रस्तावित तरमीम दुरूस्ती के नजरी नक्शे पर दोनों पक्षकारों ने बाद सन्तुष्टि अपने हस्ताक्षर किये। उपर्युक्तानुसार तरमीम दुरूस्ती की मौका फर्द मय नजरी नक्शा तैयार कर पढकर सुनाया गया। सुन, समझ सही होना स्वीकार करते हुए अपने हस्ताक्षर किये।

पत्रावली एवं संलग्न राजस्व अभिलेख, तहसीलदार जैतारण द्वारा प्रस्तुत वादग्रस्त आराजी के रेकर्ड एवं मौका स्थिति की तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट मय भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र निम्बोल द्वारा प्रस्तुत मौक फर्द तथा उभयपक्षकारान् द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी के भू अभिलेख यथा जमाबंदी एवं भू नक्शा के अनुसार प्रार्थी के नाम से जारी खनन लीज डीड की भूमि एम एल 231/91 क्षेत्रफल 90,000 वर्गमीटर ''जो मूल खसरा संख्या 228 कुल रकबा 128 बीघा किस्म गै0मु0 पहाड़ में आई हुई है'' जिसके भू राजस्व नक्शा में अप्रार्थीया की खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 228/1

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू-अभिलेख अधिकारी
जैतारण (ब्यावर)

रकबा 2.9947 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 228/3 रकबा 1.6187 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 228/5 रकबा 1.6187 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल का गलत एवं विधिविरूद्ध रूप से तरमीम किया गया है जिसकी वजह मौके पर उभयपक्षकारान् के मध्य वास्तविक सीमा रेखा की स्थिति को लेकर विवाद होने से इन्कार नहीं किया जा सकता। खातेदारान् के मध्य आराजी को लेकर किसी प्रकार का सीमा विवाद न हो इसके लिए यह आवश्यक है कि खातेदार काश्तकारों को उनकी खातेदारी भूमि की सीमाओं का सही-सही ज्ञान हो तथा उनके हक हिस्से की आराजी का भू राजस्व अभिलेख व भू नक्शा में सही रूप से अंकन हो।

अतः उपर्युक्त विवेचन एवं निर्णयन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि तहसीलदार जैतारण द्वारा प्रस्तुत रेकर्ड एवं मौका स्थिति की तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट पत्र क्रमांक/राजस्व/2024/2271 दिनांक 20.11.2024 मय भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र निम्बोल द्वारा प्रस्तुत मौका फर्द एवं उभयपक्षकारान् द्वारा प्रस्तुत राजीनामा मय नजरी नक्शा के अनुसार वादग्रस्त आराजी के भू नक्शा का मौका स्थिति एवं मौके पर काबिज अनुसार तरमीम को भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 एवं राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू (लैण्ड रेकर्डस) नियम 1957 के नियम 60, 62, 66, 67, 187, 354, के अर्न्तगत शुद्ध करते हुए खातेदारान की आराजीयात् का सीमाज्ञान करवाया जाकर उभयपक्षकारान् के खर्चे पर वादग्रस्त आराजी की सीमा पर सीमाचिह्न अधिरोपित किया जाना विधिसंगत एवं उचित समझते है।

## -:: आदेश ::-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थी अंतर्गत धारा 111, 128, 131 एवं 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 भलीभांती साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार, जैतारण को निर्देश दिये जाते हैं कि ग्राम सिणला पटवार हल्का डिगरना, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र निम्बोल, तहसील-जैतारण, जिला-ब्यावर में स्थित प्रार्थी आनन्दसिंह पुत्र प्रभुसिंह के नाम से जारी खनन लीज डीड की भूमि एम एल 231/91 क्षेत्रफल 90,000 वर्गमीटर "जो मूल खसरा संख्या 228 कुल रकबा 128 बीघा किस्म गै0मु0 पहाड़ में आई हुई है" तथा अप्रार्थीया केलादेवी पत्नी भंवरलाल की आराजी खसरा नम्बर 228/1 रकबा 2.9947 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 228/3 रकबा 1.6187 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम व खसरा नम्बर 228/5 रकबा 1.6187 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल का मुताबिक तहसीलदार जैतारण द्वारा प्रस्तुत रेकर्ड एवं मौका स्थिति की तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट पत्र क्रमांक/राजस्व/2024/2271 दिनांक 20.11.2024 तथा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र निम्बोल द्वारा मौके पर उभयपक्षकारान् की सहमति से तैयार फर्द मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा जो इस निर्णय का एक भाग रहेगा के अनुसार उक्त वादग्रस्त आराजी के भू नक्शा का मौका स्थिति एवं मौके पर काबिज अनुसार तरमीम भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 एवं राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू (लैण्ड रेकर्डस) नियम 1957 के नियम 60, 62, 66, 67, 187, 354, के अर्न्तगत शुद्धीकरण करवाकर उभयपक्षकारान् की

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू-अभिलेख अधिकारी
जैतारण (ब्यावर)

राजीयात् की सीमाओं के मध्य राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 111 में विहित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए मौके स्थिति एवं भू नक्शे मौके के अनुसार सीमाज्ञान करवाकर सीमा विवाद का मौके पर निस्तारण कर सीमाचिह्न अधिरोपित करवावे। उभयपक्षकारान् को पाबंद किया जाता है कि वक्त कार्यवाही मौके पर उपस्थित रहें। तहसीलदार जैतारण को पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होते हुए दाखिल दफ्तर जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
भू–अभिलेख अधिकारी, जैतारण
(जिला–ब्यावर)

निर्णय आज दिनॉक 20/11/2024 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
भू–अभिलेख अधिकारी, जैतारण
(जिला–ब्यावर)